संख्या-45/2025/।/923709/2025/001-71-2099-263-2021-5

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
2-निदेशक, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
3-प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ:-30-03-2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/राजकीय मेडिकल कालेज में असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/718, दिनांक 24.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजना के संचालन हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी में हास्पिटल रिवाल्विंग फण्ड/इनवेस्टिगेशन रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 795.00 लाख तथा अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 395.00 लाख इस प्रकार कुल रु0 1190.00 लाख की धनराशि की बचतों के सापेक्ष 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु के0जी0एम0यू0 लखनऊ हेतु रू0 1000.00 लाख, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा हेतु रू0 145.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, आगरा हेतु रू0 45.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 1190.00 लाख की धनराशि असाध्य रोगों के ईलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा- 368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पत्र संख्या-33/2025/ A071-20242025-71-2099-263-2021, दिनांक-30 मार्च, 2025 (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि रू0 1190.00 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ नब्बे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

रू0 लाख में

क्र0सं0	चिकित्सा विश्वविद्यालय/राजकीय	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जाने वाली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	मेडिकल कालेज/संस्थान का नाम	धनराशि
1	बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान	145.00
2	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1000.00
3	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	45.00
	योग	**1190.00**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. संबंधित संस्थान के निदेशक, का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/ लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि को कोषागार से संबंधित चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थान एवं राजकीय मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा एवं किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा (राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को छोड़ते हुए) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,90,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-45/2025/।/923709/2025/001-71-2099-263-2021-5, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/आगरा/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, लखनऊ, नोएडा एवं आगरा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।